

प्रेषक,

पी० गुरुप्रसाद,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- |  |  |
|--|--|
| 1. आवास आयुक्त,<br>उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,<br>लखनऊ। | 2. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,<br>समस्त विनियमित क्षेत्र,<br>उत्तर प्रदेश। |
| 3. उपाध्यक्ष,<br>समस्त विकास प्राधिकरण,<br>उत्तर प्रदेश। | 4. अध्यक्ष,<br>समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,<br>उत्तर प्रदेश।           |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 19 फरवरी, 2026

विषय:- भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के संबंध में।  
महोदय,

आप अवगत हैं कि जीवन एवं पर्यावरण के अस्तित्व के लिए जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है जो हमें वर्षा के माध्यम से प्राप्त होता है, परन्तु भू-जल स्रोतों के अनियोजित तथा अनियंत्रित दोहन के कारण भूगर्भ जल के स्तर में लगातार तीव्र गिरावट जारी है। जल स्तर गिरने के साथ-साथ सरफेस वाटर विशेष रूप से तालाब, पोखर, जलाशय आदि के सूखने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में जल के उपयोग एवं सतही तथा भू-गर्भीय जल स्रोतों के संरक्षण, मितव्ययिता, वर्षा जल संचयन तथा जल प्रबन्धन की महती आवश्यकता है। इसलिए जल संसाधन की संरक्षा तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय तथा पर्यावरण अनुकूल तकनीकों/पद्धतियों को अपनाया जाना अपरिहार्य है।

2- जल संसाधन के संरक्षण, संवर्धन तथा संचयन के लिए समय-समय पर शासन द्वारा निम्नवत शासनादेश जारी किए गए हैं तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों में भी सम्यक प्राविधान किए गए हैं:-

क्र०सं०	विषय	शासनादेश
1.	ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धतियों को अपनाए जाने के संबंध में।	1703ए/9-आ-1-29-विविध/98 (आ०ब०) दिनांक 12 अप्रैल, 2001
2.	स्थानीय निकायों के कार्यालय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग परियोजना लागू करने के संबंध में।	3887/440/9-आ-1-रेन वा. हार्वे. एवं ग्राउण्ड रिचा/2002 (आ०ब०) दिनांक 02 सितम्बर, 2002
3.	सरकारी भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन के संबंध में।	1760/9-आ-1-04-17 विविध/03, दिनांक 29 जुलाई, 2004
4.	भू-जल संरक्षण रिचार्जिंग हेतु वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली को अपनाए जाने के संबंध में।	यू०ओ०-35/आठ-1-2005, दिनांक 25 अप्रैल, 2006
5.	रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति के क्रियान्वयन हेतु अभियान चलाकर समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के संबंध में।	3982/आठ-1-06-17 विविध/03टी०सी० दिनांक 01 जुलाई, 2008

6.	रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के संबंध में।	1675/आठ-3-18-167 विविध/18, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018
7.	मानसून से पूर्व जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन हेतु विशेष अभियान चलाये जाने तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों का क्रियान्वयन कराये जाने के संबंध में।	1184/आठ-3-21-167 विविध/18 दिनांक 08 अप्रैल, 2021
8.	मानसून से पूर्व जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन हेतु विशेष अभियान चलाये जाने तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों का क्रियान्वयन कराये जाने के संबंध में।	1630(1)/आठ-3-21-167 विविध/18 दिनांक 16 जुलाई, 2021
9.	मानसून से पूर्व जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन हेतु विशेष अभियान चलाये जाने तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों का क्रियान्वयन कराये जाने के संबंध में।	2340/आठ-3-21-167 विविध/18 दिनांक 24 अगस्त, 2021
10.	मानसून से पूर्व जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन हेतु विशेष अभियान चलाये जाने तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों का क्रियान्वयन कराये जाने के संबंध में।	2340(2)/आठ-3-21-167 विविध/18 दिनांक 15 नवम्बर, 2021
11.	जल शक्ति अभियान कैच द रेन-2022 के सफल क्रियान्वयन के संबंध में।	949/आठ-3-22-167 विविध/18 दिनांक 26 मई, 2022
12.	भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के संबंध में।	1556/आठ-3-22-167 विविध/18 दिनांक 30 जून, 2022

3- शासनादेश संख्या-1323/2025/8-3099/208/2025 दिनांक 04 जुलाई, 2025 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा जोनिंग रेगुलेशन, 2025 जारी किए गए हैं, जो प्रदेश के विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में वर्तमान में प्रभावी हैं। इस उपविधि के प्रस्तर 13.1 में जल संरक्षण के प्राविधान दिए गए हैं, जिसके अन्तर्गत प्रस्तर-13.1.1 में निर्माण के समय जल प्रबंधन तथा प्रस्तर-13.1.2 में वर्षा जल संचयन के संबंध में निम्न प्राविधान दिए गए हैं:-

### 13.1 जल संरक्षण

#### 13.1.1 निर्माण के समय जल प्रबंधन

निर्माण हेतु अधिकृत स्रोतों से जल का उपयोग किया जाएगा। जहां निर्माण हेतु भूगर्भ जल का उपयोग किया जाता है, वहां संबंधित भूगर्भ जल प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी। पूर्वनिर्मित घटकों, प्री-मिक्स कंक्रीट, क्योरिंग एजेंट आदि का उपयोग करके कम जल की खपत वाली निर्माण विधियों को अपनाया जा सकता है।

निर्माण स्थलों पर पेयजल का उपयोग केवल पानी पीने, मानवीय गतिविधियों तथा कंक्रीट-कार्यों हेतु किया जाएगा। किसी भी अन्य निर्माण गतिविधि हेतु पीने योग्य जल के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। जल के उपयोग हेतु सभी आवश्यक मापदंडों का अनुपालन करने के उपरांत, उपयुक्त स्रोतों से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग ऐसे निर्माण कार्यों में किया जाना चाहिए।

#### 13.1.2 वर्षा जल संचयन

वर्षा जल संचयन नीचे दी गई तकनीकों को अपनाकर प्राप्त किया जाएगा:

क) भविष्य में उपयोग हेतु वर्षा जल का सतह पर भंडारण; तथा

ख) भूगर्भ जल पुनर्भरण  
सभी सार्वजनिक खुले स्थानों एवं मनोरंजन क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जाएगी।

#### विकास अनुज्ञा हेतु ले-आउट/उप-विभाजन योजना की आवश्यकताएं

क) नई योजना बनाने से पूर्व, क्षेत्र का भूवैज्ञानिक/जल विज्ञान संबंधी/जलभूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए तथा भूगर्भ जल पुनर्भरण हेतु स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उचित विधि अपनाई जानी चाहिए।

ख) 10 एकड़ (4 हेक्टेयर से अधिक) से अधिक क्षेत्रफल वाली योजनाओं के ले-आउट प्लान में, पार्कों एवं खुले क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित भूमि के भीतर उपयुक्त स्थानों पर जलाशयों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें ऐसा क्षेत्र कुल योजना क्षेत्र का न्यूनतम 01 प्रतिशत होगा। योजना में ऐसे जलाशयों का निर्माण करने से पूर्व, प्राकृतिक वर्षा जल संग्रहण क्षेत्रों की पहचान करते समय, ऐसे जलाशय का आकार एवं गहराई निर्धारित की जाएगी तथा वर्षा जल की परिकल्पित मात्रा, जल-भूवैज्ञानिक, स्थलाकृति (टोपोग्राफी), आश्मविज्ञान (लीथोलॉजी), क्षेत्र की मिट्टी के गुणधर्म, प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के संभावित प्रतिधारण एवं ठहराव तथा उसकी व्यवहार्यता का अध्ययन/मूल्यांकन किया जाएगा। जलाशय की अधिकतम गहराई 02 मीटर रखी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उस योजना के 'सतही-अपवाह' (surface-run-off) को ही डालने की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उसमें प्रदूषित जल एवं अपशिष्ट नहीं मिलाया जाना चाहिए। पार्क एवं खुले क्षेत्र के एक कोने में निर्धारित मानकों के अनुसार रिचार्ज पिट/रिचार्ज शाफ्ट बनाया जाना चाहिए। ऐसे पुनर्भरण गड्ढों/पुनर्भरण शाफ्टों एवं जलाशयों का निर्माण क्षेत्रीय जल-भूविज्ञान के अनुसार ढलान की दिशा में किया जाना चाहिए।

ग) पार्कों में कंक्रीट का निर्माण 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें कंक्रीट फुटपाथ तथा ट्रैक सम्मिलित है, तथा जहां तक संभव हो सके, 'पारगम्य' (permeable) अथवा अर्थ-पारगम्य छिद्रित ब्लॉकों का उपयोग किया जाना चाहिए। पार्कों एवं खुले क्षेत्रों में वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

घ) सड़कों, पार्कों एवं खुले स्थानों पर ऐसे वृक्ष-पौधे लगाए जाएंगे, जिन्हें कम जल की आवश्यकता हो एवं जो कम जल अवशोषित कर सकें तथा गर्मियों में भी हरे-भरे रहें।

ङ) नई योजनाओं के ले-आउट प्लान में जलापूर्ति, जल निकासी एवं सीवेज नेटवर्क जैसी अवस्थापना सुविधाओं के अतिरिक्त, छत पर वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूगर्भ जल के सामूहिक पुनर्भरण हेतु अन्य पृथक नेटवर्क उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें एकल भूखंडों/भवनों हेतु पुनर्भरण गड्ढों (रीचार्जिंग पिट्स) की व्यवस्था तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर पुनर्भरण संरचनाओं की व्यवस्था होगी।

च) नवीन योजनाओं के ले-आउट प्लान में 100-300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले भूखंडों हेतु यदि भवनों के समूह से वर्षा जल योजना के सामूहिक पुनर्भरण (कलेक्टिव रीचार्जिंग) नेटवर्क में प्रवाहित होता है, तो एकल भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य नहीं होगा। यद्यपि, 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर निर्मित होने वाले भवनों के संबंध में, भवन स्वामी द्वारा स्वयं वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य होगा।

#### अनुज्ञा हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए भवन मानचित्र की आवश्यकताएं

सामूहिक पुनर्भरण नेटवर्क न होने की स्थिति में, जलभराव वाले क्षेत्रों को छोड़कर 300 वर्ग मीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल (गुप हाउसिंग सहित) के सभी उपयोगों वाले भूखंडों में छत पर

वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जाएगी। वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण स्टैन्डर्ड टेक्नोलॉजी के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा तथा वर्षा जल को न्यूनतम आवश्यक गहराई तक मिट्टी में जाने दिया जाएगा, ताकि भूगर्भ जल स्रोतों के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो। जलभराव की समस्या वाले क्षेत्रों में भूगर्भ जल पुनर्भरण प्रणाली नहीं अपनाई जानी चाहिए, यद्यपि भवनों की छतों से प्राप्त वर्षा जल को एकत्र करने की व्यवस्था की जा सकती है।

**भवनों एवं निर्माण हेतु आवश्यक पर्यावरणीय शर्तें (समय-समय पर यथा संशोधित):**

भवनों का निर्मित क्षेत्र	अपेक्षाएँ
भवन या निर्माण परियोजनाएँ या क्षेत्र विकास परियोजनाएँ और टाउनशिप =>20,000 से <50,000 वर्गमीटर	<ul style="list-style-type: none"> <li>वर्षा जल संचयन, जल दक्षता और संरक्षण के लिए एक पूर्ण योजना तैयार की जानी चाहिए और इसे लागू किया जाना चाहिए।</li> <li>कम प्रवाह वाले (low flow) फिक्सचर या सेंसर्स जल दक्षता वाले उपकरणों का उपयोग प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।</li> <li>वर्षा जल संचयन हेतु स्थानीय उपविधियों के प्राविधानों का पालन किया जाना चाहिए। यदि कोई स्थानीय उपविधि उपलब्ध नहीं है, तो भंडारण और पुनर्भरण के लिए शहरी विकास मंत्रालय की मॉडल बिल्डिंग उपविधि, 2016 के अनुसार पर्याप्त प्राविधान किया जाना चाहिए।</li> </ul>
औद्योगिक शेड, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावास 20,000 वर्गमीटर से <1,50,000 वर्गमीटर	<ul style="list-style-type: none"> <li>वर्षा जल संचयन योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि प्रत्येक 5,000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र में न्यूनतम एक पुनर्भरण बोर हो तथा कुल ताजे पानी (fresh water) की आवश्यकता के न्यूनतम एक दिन की भंडारण क्षमता प्रदान की जाएगी। जिन क्षेत्रों में भूगर्भ जल पुनर्भरण संभव नहीं है, वहाँ वर्षा जल को संचित कर पुनः उपयोग हेतु भंडारण किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना भूगर्भजल का उत्कर्षण नहीं किया जाना चाहिए।</li> <li>समस्त पुनर्भरण को केवल उथले जलभृत (shallow aquifer) तक सीमित रखा जाना चाहिए।</li> <li>स्थानीय भवन उपविधि के अनुसार आवश्यक खुले स्थलों का न्यूनतम 20 प्रतिशत पारगम्य होना चाहिए। घास के पेवर्स, पेवर ब्लॉक, लैंडस्केप आदि का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत खुलापन (opening) हो, ताकि इसे पारगम्य सतह के रूप में माना जा सके।</li> </ul>

4- उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों तथा उक्त शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कड़ाई से अनुपालन किये जाने एवं योजनाओं के पार्को, खुले स्थानों की वाटर हार्वेस्टिंग कराये जाने व नगर की महायोजना के राजस्व अभिलेखों में दर्ज विद्यमान पोखर, तालाब एवं वॉटर बॉडीज को संरक्षित किये जाने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5- विदित है कि जल संरक्षण वर्षा जल संरक्षण, ग्राउण्ड वाटर बॉडीज के संरक्षण के संबंध में समस्त अभिकरण से सूचना प्राप्त करते हुये परीक्षणोपरान्त संकलित कर शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश संख्या-7/2021/1184/आठ-3-21-167

विविध/18 दिनांक 08.04.2021 द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है एवं सूचना प्रेषित करने हेतु प्रारूप भी निर्धारित किया गया है (प्रारूप पुनः संलग्न)। अतएव सभी अभिकरणों से संलग्न प्रारूप के अनुसार सूचना प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त संकलित सूचना निदेशक, आवास बन्धु द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख एवं माह के अंतिम कार्य दिवस को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।

**संलग्नक: यथोक्त।**

भवदीय,

(पी० गुरुप्रसाद)

प्रमुख सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- (1) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- (2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (5) निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मासिक प्रगति समीक्षा बैठक में अनुश्रवण हेतु सम्मिलित कराने का कष्ट करें।
- (6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार राय)

विशेष सचिव।

